सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 26 / 15 **निर्णय दिनांकः—5.3.2018**

1. अरजनराम पुत्र श्री रेवंतराम जाति जाट निवासी सुरनाणा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. कृष्णलाल पुत्र चन्दूराम जाति जाट निवासी चक 20 बीएसएम तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार कोलायत

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 30—01—2012
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, मु. बज्जू

उपस्थितिः—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन मु. बज्जू के आदेश दिनांक 30—01—2012 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मिडियमपेच आवंटन किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन(इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि वादगत् भूमि चक 20 बी.एस.एम के मुरब्बा नम्बर 87/44 तहसील कोलायत नं. 2 में तादादी 17 बीघा रकबा पुख्ता आवंटन है। जिस पर अपीलांट वर्षो से ढ़ाणी बनाकर निवास कर रहा है व उसक कब्जे काश्त में है। इसी मुरब्बें में 8 बीघा भूमि रकबा राज दर्ज है तथा उक्त रकबा प्रार्थी के रकबे में ही स्थित है। अतः उक्त रकबे के आवंटन की अपीलांट की प्रथम वरीयता बनती थी। मिडियम पेच आवंटन नियमों में जिसकी प्रथम वरीयता बनती हो उसे ही आवंटन किया जाना चाहिए। परन्तु अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों के विरूद्व जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर का आवंटन किया गया जो आवंटन नियमों के विरूद्व होने से खारिज योग्य है।

उन्होंने आगे बताया कि पटवारी रिपोर्ट में अपीलांट के नाम का अंकन भी है तथा रिपोर्ट में वादगत् भूमि को मिडियमपेच में आवंटन करवाने की पात्र व्यक्तियों की सूचना में अपीलांट/प्रार्थी का नाम भी अंकित है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बिना किसी प्रकार का नोटिस दिये आदेश जैर अपील एकतरफा पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा नोटिस जारी करने की तमाम कार्यवाही गलत व अवैद्य तरीके से की गई है। तथाकथित नोटिस की पुश्त पर बताया गया है कि पुछताछ करने पर बताया गया कि सायल पिछले गावं में रहता है तथा सार्वजनिक स्थान पर पुलियें पर चस्पा के बाद तामील सेवा में रिपोर्ट पेश है।

उक्त तामील में ना तो गवाहान् के हस्ताक्षर है ना ही उक्त तामील कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार है। केवल मात्र यह लिख देने से की सार्वजनिक पुलिया पर नोटिस चस्पा किये गये नोटिस की तामील मानने का पर्याप्त आधार नहीं है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो

आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत है। तहसील पटवारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में भी अपीलांट्स की भूमि होना अंकित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए दिनांक 30—01—12 को सीधे ही एकतरफा तौर पर रेस्पोडेन्ट को मिडियमपेच में आवंटन कर दी गई। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट्स को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया स्मालपेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2006 पेज 262 व आरआरडी 2001 पेज 39 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा चक 20 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 87/44 के किला नम्बर 18 ता 25 में कुल रकबा 8 बीघा मिडियमपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों को नोटिस जारी किया गया। आराजी जैर के आवंटन से पूर्व अपीलांट अरजनराम व अन्य काश्तकार को नोटिस जारी किये गये थे। अपीलांट अरजनराम व अन्य काश्तकारों कको विधिवत नोटिस तामील उपरान्त प्राप्त हुए। लेकिन बाद नोटिस प्राप्ति अपीलांट अरजनराम उपस्थित नहीं आये। तत्पश्चात् आराजी जैर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रथम वरीयता के आधार पर आवंटित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाइ जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अपीलांट बावजूद नोटिस उपस्थित नहीं आये। अतः अपीलांट

अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन सही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—01—2012 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 05—02—2013 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने चक 20 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 87/44 के किला नम्बर 18 ता 25 में 8 बीघा भूमि का मिडियमपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों को नोटिस करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

(3) अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजीरी नक्शें के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादगत् आराजी अपीलांट के मुरब्बें में निहित है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पुश्त पर प्रस्तुत रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट पर संबंधित तामील कुनिन्दा द्वारा अभिलिखित किया गया है **''कि पुछताछ करने पर बताया गया कि सायल पिछले गावं में रहता है तथा सार्वजनिक स्थान पर पुलियें पर चस्पा के बाद तामील सेवा**

में रिपोर्ट पेश है।'' अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य की भंली भांति जॉच नहीं की गई कि उक्त मुरब्बें में ही शेष भूमि अर्थात 17 बीघा भूमि अपीलांट के धारण की भूमि है। ऐसी स्थिति में तामील कुनिन्दा द्वारा यह अंकित किया जाना कि अपीलांट पिछले गावं में निवास करता है, मानने योग्य कथन नहीं है तथा तामील को अपने आप में संदेहास्पद होना प्रकट करता है।

(4) इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2001 पेज 262 में यह अभिनिर्धारित है कि:–Service of summons-No personal service was made on defendant-Process server made report that he had visited the village and defendant had refused to accept the notice and he(process server) pasted the notice, on the wall-Ex-party proceedings and ex-parte decree-Application for setting aside ex-parte decree rejected by trial court-Appeal against-Held, trial court should have got the process server produced in the court for examination on oath when defendant was denying the fact that process server had ever visited the village and had made any such report and even had pasted the notice- It is bounden duty of court to see that the party is served in accordance with law before to proceed ex-parte just on receipt of report of process server-Court should see that every provision of O-5 should be completed and accomplished in letter and spirit before ex-parte proceedings are ordered- In this case, there is serious doubt about service having been effected on defendant, therefore, ex-parte proceedings, set aside. मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

(5) प्रस्तुत प्रकरण में भी तामील की प्रक्रिया को विधि अनुसार निष्पादित नहीं किया गया है। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से समस्त कार्यवाही सम्पादित किया जाना परिलक्षित होता है। आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व नहीं की गई है। जो घोर अनियमितता की श्रेणी की त्रूटि है कारित करते हुए आराजी जैर का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन तहसीलदार की रिपोर्ट के विपरीत होना साबित है।

(6) अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर चिपते काश्तकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किया गया है, जो राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 (1) के विपरीत होने से काबिल खारिज है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन मु. बज्जू दिनांक 30—01—2012 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 5.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर